संख्या-6/2015/191/71-2-15-आर0एम0-24/2009

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 15 जनवरी, 2015**

विषय- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संशोधन।

महोदय,

वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ में शासनादेश संख्या- 4380/71-3-10-आरएम-24/2009टीसी, दिनांक 07 फरवरी, 2011 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू की गयी थी। शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-3263/दस-59(एम)/2008टीसी, 12 जनवरी, 2011 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10500 को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- दिनांक 01 जनवरी, 2006 से स्वीक़त किया जाय।

2- उपर्युक्त निर्णय के अनुसार उक्त शासनादेश संख्या-4380/71-3-10-आरएम-24/2009टीसी, दिनांक 07 फरवरी, 2011 द्वारा वेतनमान रू0 6500-10500 के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- के स्थान पर सादृश्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- निर्धारित करने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश दिनांक 07 फरवरी, 2011 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/2469/दस-2014, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

संख्या-6/2015/191(1)/71-2-15-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्रीराज्यपाल, उ0प्र0।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-2/वित्त (व्यय नियंत्रण)अनु0-3
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in